**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1124**

**27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: दलहनों का उत्पादन**

**1124. श्री अनुभव मोहंतीः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या 2016 के दौरान दलहनों की अत्यधिक बढ़ती कीमतों के परिणामस्वरूप तकनीकी दखल के साथ-साथ उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से प्रोत्साहन देने से इसकी बुवाई रकबे में वृद्धि हुई है, जिससे इसके घरेलू उत्पादन में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित हुई है;

(ख) क्या सरकार और ऐसे किसानों जिन्होंने घरेलू उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए अन्य फसलों को छोड़कर दलहन की उपज को बढ़ाने के लिए इसका उत्पादन शुरू किया था के बीच इसके अतिरिक्त उत्पादन को संभालने के लिए, कोई सहमति, यदि कोई हो, बनी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों के समूहों द्वारा विदेशों से दाल के आयात पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख) किसानों की फसल बुआई रूचि, मौसम परिस्‍थितियों, वर्षां की स्‍थिति, सिंचाई सुविधाओं, अंत: फसल लाभप्रदता, भू परिस्‍थितियों, अन्‍य प्रतियोगी फसलों से बेहतर लाभ की आशा आदि पर निर्भर करती है। तथापि, सरकार ने दलहनों के क्षेत्रीय कवरेज एवं उत्‍पादकता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारत सरकार देश के 29 राज्‍यों के 638 जिलों में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन (एनएफएसएम-दलहन) को क्रियान्‍वित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने देश में दलहनों के उत्‍पादन को प्रोत्‍साहित करने के संबंध में अनेक उपाय/पहलें की है जिसका ब्‍यौरा इस प्रकार है:

* पुर्नोत्थान एनएफएसएम-दलहन के तहत देश में वर्ष 2012-13 में 16 राज्‍यों के 468 जिलों से 2016-17 में 29 राज्‍यों के 638 जिलों तक जिलों की संख्‍या में वृद्धि हुई है।
* केंद्रीय एवं राज्‍य के बीज उत्‍पादक एजेंसियों को प्रमाणित बीज उत्‍पादन के लिए प्रोत्‍साहन राशि में 25/- रूपए प्रति कि.ग्रा. से 50/- रूपए प्रति कि.ग्रा. तक वृद्धि;
* किसानों को दलहनों के प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु सहायता में 25/- रूपए प्रति कि.ग्रा. से 50/- रूपए प्रति कि.ग्रा. तक वृद्धि;
* सामूहिक प्रदर्शनों एवं फसलीय पद्धति आधारित प्रदर्शनों के लागत मानकों में क्रमश: 7500/- रूपए से 9000/- रूपए प्रति हैक्‍टेयर एवं 12500/- रूपए से 15000/- रूपए प्रति हैक्‍टेयर की वृद्धि;
* खरीफ 2018-19 के दौरान तूर (अरहर) के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में 5450/- रू./क्‍विंटल से 5675/- रू./क्‍विंटल, मूंग में 5575/- रू./क्‍विंटल से 6975/- रू./क्‍विंटल, उड़द के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य में 5400/- रू./क्‍विंटल से 5600/- रू./क्‍विंटल की वृद्धि;
* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्‍थानों, राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों (एसएयू) तथा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शनों का आयोजन करना;
* किसानों के बीच नई किस्‍मों की लोकप्रियता हेतु दलहनों के मुफ्त बीज मीनी किटों का वितरण;
* दलहनों के गुणवत्‍ता बीजों की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के लिए आईसीएआर संस्‍थानों, एसएयू एवं केवीके पर बीज समूहों का सृजन;
* आईसीएआर संस्‍थानों के माध्‍यम से प्रजनक बीज उत्‍पादन में वृद्धि; दलहनों के बफर स्‍टॉक का सृजन; पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में लक्षित चावल परती क्षेत्रों (टीआरएफए) में दलहनों को बढ़ावा देना;
* किसानों को उनके उत्‍पादों के लिए लाभकारी मूल्‍य प्रदान करने के लिए, सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन एवं कपास की खरीद के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) को क्रियान्‍वित कर रही है। 2016-17 से, सरकार ने पीएसएस के तहत अभी तक 4.87 मिलियन टन दलहनों की खरीद कर ली है।

(ग) घरेलू मूल्‍य एवं उपलब्‍धता की स्‍थिति के अनुसार, सरकार दलहनों के सस्‍ते आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय-समय पर अपेक्षित उपाय करती है। इस संबंध में दिनांक 28 मार्च, 2017 की अधिसूचना के तहत तूर (पिजन पी) पर आयात शुल्‍क शून्‍य से 10% तथा मटर पर दिनांक 08 नवबंर, 2017 की अधिसूचना के तहत आयात शुल्‍क पर शून्‍य से 50 % वृद्धि की गई है। दिनांक 20 जून, 2018 की अधिसूचना के तहत चना (चीकपी) पर आयात शुल्‍क में 60% से 70% तक एवं लेंटिल (मसूर) के आयात शुल्‍क पर 30% से 40% तक वृद्धि की है। दिनांक 5 अगस्‍त, 2017 की अधिसूचना के तहत तूर पर 2 लाख मिट्रीक टन के लिए एक वार्षिक कोटा के साथ आयात पर मात्रात्‍मक प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी प्रकार, 21 अगस्‍त, 2017 से 3 लाख मिट्रीक टन के लिए वार्षिक कोटा के साथ मूंग/उड़द के आयात पर मात्रात्‍मक प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2018 तक मटर पर 1 लाख मिट्रीक टन का मात्रात्‍मक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

\*\*\*\*\*